ST. PAUL'S SR. SEC. SCHOOL, PALI

Date: 05/01/2024

Dear Parents and Students,

The school timing is <u>revised</u> as per the orders of The Government & Education Department. Therefore all the students will come to school tomorrow <u>06th January 2024 (Saturday)</u> as per the timings given below:-

*Order of the District Administration is enclosed

(Monday to Friday)

09.40 am to 02.30 pm (For Class I to XII)

10.30 am to 01.30 pm (For Class Nursery, LKG & HKG)

(Saturday)

09.40 am to 01.00 pm (For Class I to XII)

10.30 am to 12.00 noon (For Class Nursery, LKG & HKG)

Pre-Board Examination will be conducted as per given Date Schedule and timing will be as follows:-

09.40 am to 01.10 pm (For Class X & XII – Theory)

All the Parents are requested to inform the new timing to your Taxi men.

PRINCIPAL

<u>राजस्थान सरकार</u> कार्यालय जिला कलक्टर, पाली

क्रमांक / विकास / शि.वि. / शीतर लहर / 2024 / | 6

दिनांक :- / •/.... / 2024

-: आदेश :--

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/मा—स/शीतलहर, लू(60)/वो—2/2023/दिनांक 04.01.2024 के क्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा पाली द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाने पर पाली जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 01 से 08 तक के विद्यार्थियों का दिनांक 06.01.2024 से 13.01.2024 तक समय प्रातः 10 बजे से सायं 04 बजे तक रखा जाएगा।

उक्त आदेश जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय पर तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। कक्षा 09 से 12 तक की कक्षाए पूर्व समयानुसार ही संचालित होगी। शिक्षकों एवं संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। इन निर्देशों की अवलेहना करने वाले राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

> (नमित मेहता) जिला कलक्ट्र पाली

क्रमांक / विकास / शि.वि. / शीतर लहर / 2024 / 1 7 — 22 दिनांक प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

निदेशक, प्रा. / मां. शिक्षा राज. बीकानेर।

2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, पाली को प्रेषित कर लेख है कि अवहेलना करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें।

3. जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा. शि. / मा. शि) पाली को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों से सुनिश्चित करावें।

4. जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान पालना सुनिश्चित करें।

5. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, पाली को प्रसारित करने हेतु।

6. निजी सचिव, जिला कलक्टर, पाली / निजी सहायक, अति. जिला कलक्टर, पाली।

अति. जिला कलक्टर पाली